

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6 परिशिष्ट-“अ”

श्री मन्जूर आलम, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुशलपुरा जिला सवाई माधोपुर जिनकी जन्मतिथि 04.07.1961 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 05.10.1985 है।

श्री मन्जूर आलम, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुशलपुरा जिला सवाई माधोपुर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के प्रावधानानुसार 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री मन्जूर आलम, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुशलपुरा जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन / लम्बित नहीं है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

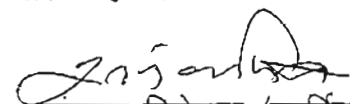
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-8/मन्जूर आलम/2020/15

दिनांक : 5/6/2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, भरतपुर
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग, भरतपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, सवाई माधोपुर
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बौली जिला सवाई माधोपुर
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुशलपुरा जिला सवाई माधोपुर
6. श्री मन्जूर आलम, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुशलपुरा जिला सवाई माधोपुर
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6 परिशिष्ट-“अ”

श्रीमती उषा चूग, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुम्हेर पं0स0 कुम्हेर जिला भरतपुर जिनकी जन्मतिथि 10.08.1967 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 16.01.1990 है।

श्रीमती उषा चूग, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुम्हेर पं0स0 कुम्हेर जिला भरतपुर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के प्रावधानानुसार 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्रीमती उषा चूग, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुम्हेर पं0स0 कुम्हेर जिला भरतपुर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

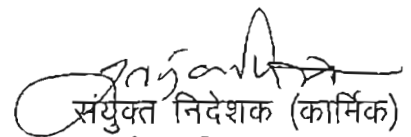
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-8/उषा चूग/2020/14

दिनांक : 5-6-2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, भरतपुर
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग, भरतपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति कुम्हेर जिला भरतपुर
5. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुम्हेर पं0स0 कुम्हेर जिला भरतपुर
6. श्रीमती उषा चूग, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुम्हेर पं0स0 कुम्हेर जिला भरतपुर
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: सेवा समाप्ति आदेश ::

श्री गिरिराज शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डोण्डा जिला झालावाड में कार्यरत थे, जिनकी जन्मतिथि 08.05.1960 है, जिनका राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 13.04.2020 को स्वर्गवास हो चुका है।

अतः श्री गिरिराज शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डोण्डा जिला झालावाड की राजकीय सेवाएं दिनांक 13.04.2020 से एतद् द्वारा समाप्त की जाती हैं।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

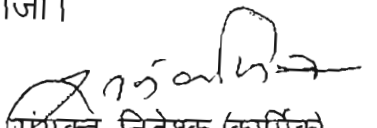
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-6/गिरिराज शर्मा/2020/7

दिनांक : 5-6-2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, कोटा
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा विभाग) कोटा संभाग, कोटा
3. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं०स० झालरापाटन जिला झालावाड़
5. आश्रित स्व० श्री गिरिराज शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डोण्डा जिला झालावाड़ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़
6. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डोण्डा जिला झालावाड़
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. विज्ञांच/वरिष्ठता अनुभाग, प्रभारी बी-1/II कार्यालय हाजा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: सेवा संतोषजनक प्रमाण-पत्र ::

प्रारूप-6 परिशिष्ट-"अ"

श्री धमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सखवारा पंचायत समिति सैंपेऊ जिला धौलपुर जिनकी जन्मतिथि 26.01.1964 है जो दिनांक 18.01.2020 को राज्य सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो चुका है। इनका सेवा समाप्ति आदेश इस कार्यालय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.03.2020 के द्वारा जारी किया जा चुका है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री धमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सखवारा पंचायत समिति सैंपेऊ जिला धौलपुर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

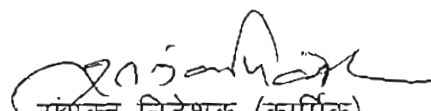
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-8/धमेन्द्र कुमार/2020/16

दिनांक : 5-6-2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, भरतपुर
2. उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, धौलपुर/भरतपुर
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग भरतपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, सैंपेऊ जिला धौलपुर
6. प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सखवारा पंचायत समिति सैंपेऊ जिला धौलपुर
7. आश्रित स्व० श्री धमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, सैंपेऊ जिला धौलपुर
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
9. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर